न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 79/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 मोडाराम पुत्र तगीया कौम नाई निवासी दामण		1 पांचाराम पुत्र सूरता कौम कलबी निवासी दामण
2 मांगा पुत्र शंकरा कौम नाई निवासी दामण		2 केसाराम पुत्र सूरता कौम कलबी निवासी दामण तहसील बागोडा
3 गणपतराम पुत्र वगतीया कौम नाई निवासी दामण		3 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बागोडा
4 सेवाराम पुत्र वगतीया कौम नाई निवासी दामण तहसील बागोडा		4 शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. शाखा भीनमाल
		5 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भंवरलाल खवास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री शंभूदान आशिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.12.17

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2016 पांचाराम बनाम मोडाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 407 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 410 रकबा 0.17 हैक्टेयर पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया तथा जिस दिनांक को वकालतनामा प्रस्तुत किया, उसी दिनांक को जवाबदावा का अन्तिम अवसर लिखते हुए आगामी तारीख पेशी को अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 की तामील हुए बिना ही जवाबदावा का अवसर बन्द किया जाकर एकतरफा कार्यवाही कर दी तथा बिना कोई साक्ष्य लिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में कोई तनकीयात कायम नही की गई, जो कि विधि व्यवस्था एवं प्रक्रिया अनुसार आवश्यक थी एवं वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पारित नही किये गये, जो आवश्यक थे, जो नही किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गये। वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का दावा किया गया, जिसमें अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब का अवसर दिया, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने के कारण जवाब का अवसर बन्द किया गया। जैर अपील वादस्थ भूमि का बंटवाडा पूर्व में ही हो चुका है, जिस पर वादी/रेस्पोडेन्ट का मकान बने हुए है। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर जवाब पेश नही किया। जल्दी फैसला करना कोई अपराध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2016 को निर्णय पारित किया, जबकि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील 26.09.2016 को प्रस्तुत की गई। इस कारण अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम दामण के खसरा नमबर 407 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 410 रकबा 0.17 हैक्टेयर पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने एवं अपीलाण्ट्स/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित कराने तथा अपीलाण्ट्स/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स/रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 28.04.2016 को वकील श्री रणजीतसिंह भाटी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। इनके अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण के सम्मन जारी हुए अथवा तामील हुए ? इस बाबत किसी प्रकार का रेकर्ड न तो पत्रावली के संलग्न है तथा न ही अन्य प्रतिवादीगण की तामील के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश पत्रावली पर उपलब्ध है। इसी दिनांक को जवाब हेतु अन्तिम अवसर लेखा जाकर पत्रावली दिनांक 09.05.2016 को नियत की गई। इसके पश्चात इन प्रतिवादीगण की तामील हुए बिना ही दिनांक 09.05.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06.06.2016 को नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 06.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित प्रक्रिया की किसी प्रकार से पालना नही किया गया तथा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसे किसी भी स्थिति में कायम रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2016 पांचाराम बनाम मोडाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर